

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम-सिरोही(राज.)

प्रार्थीगण

अप्रार्थी

1 भगत सिंह पुत्र जवाहर सिंह  
जाति राजपूत निवासी मोहब्बतनगर  
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 46 / 2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
25-06-25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/501 दिनांक 18-06-2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी के नाम से ग्राम मोहब्बतनगर पटवार मण्डल मोहब्बतनगर तहसील सिरोही में जमाबंदी के खाता संख्या 09 में खसरा नंबर 2230 से 2237 कुल किता 08 कुल रकबा 9.2300 हेक्टेयर तथा जमाबंदी के खाता संख्या 10 में खसरा नंबर 2396 किता 1 कुल रकबा 1.0900 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। वर्णित खातेदारी भूमि में नाम वरदसिंह पुत्र जुहार सिंह दर्ज है। मौका जांच फर्द दिनांक 16.06.2025 के अनुसार प्रार्थी का सही व दस्तावेजी नाम आधारकार्ड संख्या 256019336278 के अनुसार भगत सिंह पुत्र जवाहर सिंह पाया गया है। राजस्व रेकॉर्ड व पहचान दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न-भिन्न दर्ज होने से राजस्व रेकॉर्ड में पहचान दस्तावेजों के अनुसार नाम शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि <b>ग्राम मोहब्बतनगर पटवार मण्डल मोहब्बतनगर तहसील सिरोही में उपरोक्त वर्णितानुसार खातेदार का गलत इन्द्राज वरदसिंह पुत्र जुहार सिंह के स्थान पर भगत सिंह पुत्र जवाहर सिंह संशोधन कर</b> उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें</p>	



लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)

